

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941

No. 489]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 602(अ).—केन्द्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, अध्याय 3 को छोड़कर, अर्मेनिया गणराज्य को 28 अगस्त, 2019 से लागू होंगे।

[फा.सं.टी-413/69/2019]

अमित नारंग, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 28th August, 2019

G.S.R. 602 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Armenia with effect from the 28th day of August, 2019.

[F. No. T-413/69/2019]

AMIT NARANG, Jt. Secy. (CPV)

4452 GI/2019